

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुंझुनूं (राजस्थान)  
(दिनांक 12-11-2022 शनिवार)  
लोक अदालत बैंच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. - 4417/2022

GCMS NO- 2022/ 817

उनवान-

अजय यादव पुत्र सांवलराम जाति अहीर निवासी पिठौला बनाम राजस्थान सरकार

-:आदेश:-

दिनांक : 12-11-2022

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का गुजरवास के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पिठौला की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 88 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पिठौला	ग्राम पिठौला की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 88	चतरसिंह पुत्र सांवलराम	अजय यादव पुत्र सांवलराम

(महेश कुमार)  
अधिवक्ता  
बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी  
बुहाना

(रेणुका शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बुहाना

क्रमांक :- राजस्व/2022/  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 12-11-2022

तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, बुहाना

